दिनांक- 24.04.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेडी, सहारनपुर पुलिस द्वारा गेहूँ चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे चोरी किये गये 04 गेहूँ कट्टे बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 21.04.2025 को वादी श्री विशाल कुमार पुत्र मनीराम निवासी ग्राम आभा थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोरो द्वारा वादी के घेर से एक मोटरसाइकिल न0 UP11P7959 बजाज सीटी-100 व घेर मे खडी गेहू की बुग्गी से 4-5 कुन्टल गेहु चोरी कर ले जाने की सूचना के सम्बन्ध मे थाना गागलहेड़ी पर मु0अ0स0 62/25 धारा 305ए बीएनएस मे पंजीकृत कराया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,सहारनपुर के निर्देशन में वाहन चोरी/नकबजनी आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व वाहन चोर/वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री सुरेश कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 23.04.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना गागलहेड़ी पुलिस टीम द्वारा चैकिग के दौरान उपरोक्त मुकदमें में मोटरसाइकिल व गेहूँ चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए चोरी घटना में वांछित **अभियुक्त सौरव पुत्र सुन्दर निवासी ग्राम गडौला थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर** को ग्राम गडौला से चुडियाला जाने वाली रोड से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी के चार कट्टे गेहू के बरामद। अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि दिनांक 19/20.04.2025 की रात को मैने व अपने साथी के साथ मिलकर ग्राम आभा से विशाल के घेर में घुसकर घेर मे खडी बुग्गी से 06 कटटे गेहूँ के भरे हुए चोरी किये थे और सख्ती से पूछताछ की गयी तो सौरव उपरोक्त ने बताया कि मैने व मेरे साथी ने विशाल के घेर से एक मोटर साईकिल बजाज सीटी 100 भी चोरी की थी गेहूँ के चार कटटे मेरे हिस्से मे आये थे, बाकी बचे दो कटटे गेहूँ व चोरी की गयी मोटरसाइकिल मेरा साथी अपने साथ ले गया था। हम उन गेहूँ के कट्टो को उसी मोटर साइकिल से तीन बार मे विशाल के घेर से ले गये थे। मै ये चोरी हुये कटटे आज चुडियाला/भगवानपुर मंडी मे बेचने जाने के लिये मंडी जाने वाले वाहनो के इंतजार कर रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. सौरव पुत्र सुन्दर निवासी ग्राम गडौला थाना गागलहेडी सपुर0

बरामदगी का विवरण -

- 04 अदद गेहू के कट्टे

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री सुरेश कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री लोकेश सिंह राणा थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 641 रवि कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।

दिनांक: 24.04.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तरप्रदेश

थाना गागलहेडी, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 40 पव्वे देशी शराब महबूबा मार्का बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में मादक पदार्थो की तस्करी/बिक्री की रोकथाम हेतु व नशे के कारोबार में लिप्त अभियुक्तों के विरुध्द अभियान चलाया जा रहा है। जिसके अनुपालन मे पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष श्री सुरेश कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 23.04.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना गागलहेड़ी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 नशा तस्कर **अभियुक्त धनपाल पुत्र रामसिंह निवासी ग्राम हरौडा अहतमाल थाना गागलहेडी सहारनपुर** को ग्राम हरौडा अहतमाल को जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 40 पव्वे देशी शराब महबूबा मार्का बरामद । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना गागलहेडी पर मु0अ0सं0- 66/25 धारा 60 आबकारी अधिनियम अभियोग पंजीकृत किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि मै यह शराब सस्ते दामों में बाहर से खरीदकर लाता हूँ और यहाँ लाकर मंहगे दामों में बेच देता हूँ। जिससे मुझे अच्छा मुनाफा हो जाता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

धनपाल पुत्र रामसिंह निवासी ग्राम हरौडा अहतमाल थाना गागलहेडी सहारनपुर

बरामदगी का विवरण -

40 पव्वे देशी शराब महबूबा मार्का

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

(1) थानाध्यक्ष श्री सुरेश कुमार थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर ।

(2) उ0नि0 श्री राशिंद खां थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर ।

(3) का0 1035 हरेन्द्र कुमार गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर ।

-प्रेस नोट-

दिनांक - 24.04.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा नाबालिग लडकी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मुकदमें में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 14.02.2025 को वादिया की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त अफजल पुत्र तजम्मुल हुसैन निवासी माहीपुरा थाना जनकपुरी सहारनपुर द्वारा वादिया की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर अपने साथ भगा ले जाने की सूचना के सम्बन्ध मे थाना जनकपुरी पर मु0अ0सं0 42/2025 धारा 137(2)/65(1) भारतीय न्याय संहिता व ¾(2) पोक्सो अधि0 पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिए थे । आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतेन्द्र नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 24.04.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना जनकपुरी पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित **अभियुक्त अफजल पुत्र तजम्मुल हुसैन निवासी माहीपुरा थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर** को एसबीडी अस्पताल के पीछे वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अफजल पुत्र तजम्मुल हुसैन नि0 माहीपुरा थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

1. उ0नि0 श्री चन्द्रपाल सिंह, थाना जनकपुरी सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री विक्रान्त भडाना, थाना जनकपुरी सहारनपुर।
3. है0का0 580 उस्मान अली, थाना जनकपुरी सहारनपुर ।

दिनांक 24.04.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा मात्र 20 घण्टे में महिला से मोबाइल छिनैती की घटना का सफल अनावरण करते हुए 03 शातिर लुटेरे/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से लूटा गया मोबाइल फोन सैमसंग व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 23.04.2025 को वादीया श्रीमती सुनील कुमारी पत्नी शिव कुमार नि. हसनपुर थाना सदर बाजार स0पुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों द्वारा वादीया का 01 मोवाइल सैमसंग छीनकर भागने के सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर मु0अ0स0 169/2025 धारा 304(2) बी0एन0एस0 के पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु प्रभारी निरीक्षक सदर बाजार को आदेश-निर्देश दिये गये थे। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में झपटमारी/लूट/चोरी आदि घटनाओ की रोकथाम व लूटेरे/शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण मे तथा निरीक्षक श्री दिनेश सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 23.04.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही कर महिला से मोबाइल छिनैती की घटना का सफल अनावरण करते हुए 03 शातिर लूटेरे **अभियुक्तगण 1. आकाश पुत्र मान सिह नि0 नन्द वाटिका कालोनी हसनपुर थाना सदर बाजार सहारनपुर, 2. अर्जुन पुत्र प्रमोद नि0-सनसाईन स्कूल के पास नवादा रोड फतेहपुर थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर व 3. राशिद पुत्र जमील नि0-ग्राम कुम्हार हेडा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर** को नवादा रोड पर बन्द पडे भट्टे के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से लूट गया 01 मोबाइल सैमसंग गैलेक्सी F02S रंग नीला व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल सुपर स्पैलेन्डर रजि न0-UP11CV0357 बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछ- अभियुक्तो ने पूछताछ पर बताया कि दिनांक 22.04.25 को शाम को हम तीनों ने मिलकर कोर्ट रोड पर पन्त विहार पार्क के पास से एक महिला से झपटमार कर मोबाइल फोन छीन लिया था और वहा से मोटरसाइकिल लेकर भाग गये थे। आज भी हम यहाँ फिर से किसी घटना अंजाम देने के लिए आये थे। हमारे पास से जो मोबाइल फोन मिला है यह वही मोबाइल फोन है जो हम लोगो ने उस छीना था। आज इसी मोबाइल को किसी राह चलते व्यक्ति को बेचने की फिराक में थे। लेकिन उससे पहले ही आपने हमे पकड़ लिया। मोटरसाइकिल के बारे में पूछा तो अभि0 आकाश उपरोक्त द्वारा बताया कि यह मोटर साइकिल मेरी है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. आकाश पुत्र मान सिह निवासी नन्द वाटिका कालोनी हसनपुर थाना सदर बाजार सहारनपुर
2. अर्जुन पुत्र प्रमोद निवासी सनसाईन स्कूल के पास नवादा रोड फतेहपुर थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
3. राशिद पुत्र जमील निवासी ग्राम कुम्हार हेडा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

अभियुक्त आकाश उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः

1. मु0सं0अ0-86/ -धारा 25305(a),331(4) बीएनएस थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर

2. मु0सं0अ0169/25 धारा - 304(2) बीएनएस थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर

अभियुक्त अर्जुन उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः

1. मु0सं0अ0-86/ -धारा 25305(a),331(4) बीएनएस थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर
2. मु0सं0अ0169/25 धारा - 304(2) बीएनएस थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर

अभियुक्त राशिद उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः

1. मु0सं0अ0-86/ -धारा 25305(a),331(4) बीएनएस थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर
2. मु0सं0अ0169/25 धारा - 304(2) बीएनएस थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

- एक मोबाईल सैमसंग गैलेक्सी –f02s रंग नीला
- घटना मे प्रयुक्त एक अदद मोटरसाईकिल सुपर स्पैलेन्डर रजि न0-UP11CV0357

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. निरीक्षक श्री दिनेश सिंह थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री विपिन कुमार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री रविन्द्र सिंह थाना सदर बाजार सहारनपुर
4. है0का0 714 नितिन तोमर थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
5. है0का0 235 विनित कुमार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
6. है0का0 1020 सुमित बैंसला थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
7. का० 2011 अजय तोमर थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
8. का० 240 सोनू थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक:24.04.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बडगाँव, सहारनपुर पुलिस द्वारा मादक पदार्थ की बिक्री करते हुए 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 194 ग्राम अवैध चरस बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी/बिक्री की रोकथाम एवं नशे के कारोबार मे लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार संघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है । इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष बडगाँव श्री विनय शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 24.04.2025 को थाना बडगांव पुलिस टीम द्वारा 01 नशा तस्कर **अभियुक्त नितिन शर्मा उर्फ कल्लू पुत्र सतीश उर्फ प्रमोद शर्मा निवासी ग्राम मोरा थाना बडगांव जनपद सहारनपुर** को 194 ग्राम अवैध चरस के साथ नहर पटरी मोरा से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना बडगांव पर मु0अ0सं0 69/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता

नितिन शर्मा उर्फ कल्लू पुत्र सतीश उर्फ प्रमोद शर्मा निवासी ग्राम मोरा थाना बडगांव जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण

- 194 ग्राम अवैध चरस

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 173/17 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बडगांव जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 69/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना बडगांव जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम-

1. थानाध्यक्ष श्री विनय शर्मा थाना बडगांव जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री योगेन्द्र चौधरी थाना बडगांव जनपद सहारनपुर
3. हे0कां0 231 रोहित चौधरी थाना बडगांव जनपद सहारनपुर
4. हे0कां0 843 विवेक कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर
5. हो0गा0 2077 सतीश कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर

दिनांक- 24.04.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह, सहारनपुर पुलिस द्वारा "हत्या" के मुकदमें में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

सादर अवगत कराना है कि दिनांक 01.03.2025 को वादी आसिफ पुत्र मीरहसन निवासी ग्राम दौलतपुर थाना गंगोह जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण तैय्यब पुत्र जहांगीर निवासी ग्राम दौलतपुर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर व 08 अन्य द्वारा एक राय होकर धारदार हथियार गण्डासे, खरपाली व तमंचो से लैस होकर वादी के घर में घुसकर गाली गलौच करना व वादी के भाई मोबिन, फत्तू, शौकीन, सारिक व वादी के रिस्तेदार तसव्वर पुत्र हारुन नि0 ग्राम भूरा थाना कैराना जिला शामली के साथ जान से मारने की नीयत से मारपीट करना तथा तसव्वर के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर करना जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो जाने की सूचना के सम्बन्ध में थाना गंगोह पर मु0अ0सं0- 69/25 धारा 191(2)/191(3)/333/109(1)/115(2)/352/351(2)/103(1) बीएनएस के पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में तथा पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री पीयूष दीक्षित के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 24.04.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में हत्या के मुकदमे में वांछित **अभियुक्त समरयाब उर्फ समरा पुत्र जहांगीर निवासी ग्राम दौलतपुर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर** को ग्राम लखनौती तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। पूर्व में **दिनांक 02.03.2025 को उपरोक्त हत्या के मुकदमें में वांछित 05 अभियुक्तगण फारुख, तैय्यब, अय्यूब, शारिक व बिलाल समस्त निवासीगण ग्राम दौलतपुर थाना गंगोह सहारनपुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।** अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ विवरण- अभियुक्त समरयाब उर्फ समरा उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि दिनांक 28/02/2025 को फारूख पुत्र मीरहसन निवासी ग्राम दौलतपुर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर की मोटर साईकिल की टक्कर फैसल पुत्र फत्तू निवासी ग्राम दौलतपुर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर के साथ हो गयी थी। मोटर साईकिल के टकराने के कारण हमारे गाँव के आसिफ पुत्र मीरहसन के परिवार से झगड़ा हो गया था। उस दिन मै व मेरा भाई तैय्यब, परिवार के फारूख, अय्यूब, शारिक अपने-अपने हाथो मे लाठी, डण्डे व तमंचे लेकर मौके पर पहुंच गये थे। हम सभी परिवार के लोगो की आसिफ के परिवार के साथ लाठी, डण्डो आदि से मारपीट हो गयी थी तथा एक दूसरे के साथ गाली गलौच व तमंचे से फायरिंग हो गयी थी। मौके पर तसव्वर को गोली लग गयी थी और तसव्वर की अस्पताल मे ईलाज के दौरान मौत हो गयी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

समरयाब उर्फ समरा पुत्र जहांगीर निवासी ग्राम दौलतपुर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त समरयाब उर्फ समरा

(1) मु0अ0सं0-393/15 धारा 60/72 आबकारी अधिनियम चालानी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

(2) मु0अ0सं0-394/15 धारा 414/473 भा.द.वि चालानी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

(3) मु0अ0सं0- 69/25 धारा 191(2)/191(3)/190/333/109(1)/115(2)/352/351(3)/103(1) बी0एन0एस0 चालानी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री पीयूष दीक्षित थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. है0का0 376 श्री सचिन चौहान थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
3. का0 1929 श्री जब्बाद थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

दिनांकः 24.04.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बेहट पुलिस द्वारा माल निस्तारण हेतु चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन क्लीन" के तहत 49 मुकदमों में आबकारी अधिनियम से सबंधित कुल 503 लीटर अवैध शराब (देशी शराब, अंग्रेजी व शराब खाम) का विनिष्टीकरण किया गया

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में माल निस्तारण हेतु चलाये जा रहे अभियान **"ऑपरेशन क्लीन"** के तहत पुलिस अधीक्षक नगर/नोडल अधिकारी व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निकट पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी बेहट श्री मुनीष चन्द व नायब तहसीलदार श्री मुकुल कुमार सागर के कुशल नेतृत्व में तथा सहायक अभियोजन अधिकारी श्री संजय गुप्ता, आबकारी निरीक्षक श्री विकास यादव के कुशल नेतृत्व में तथा प्रभारी निरीक्षक बेहट श्री सूबे सिह, व0उ0नि0 श्री प्रेम सिंह व है0मौ0 595 जोनी कुमार थाना बेहट की मौजूदगी में थाना बेहट पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में **आज दिनांक 24.04.2025 को थाना बेहट के 49 मकुदमों में आबकारी अधिनियम से संबंधित 503 लीटर अवैध शराब** को थाना क्षेत्र बेहट के सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र के सामने खाली पड़े स्थान पर खाली जमीन में जेसीबी से गहरा गढ्ढा खुदवाकर समस्त माल को उसमें दबवाकर विनिष्टीकरण कराया गया।

माल निस्तारण कराने वाली टीम का विवरणः-

1. श्री मुनीष चन्द क्षेत्राधिकारी बेहट सहारनपुर
2. श्री मुकुल कुमार सागर नायाब तहसीलदार बेहट सहारनपुर
3. श्री संजय गुप्ता सहायक अभियोजन अधिकारी, सहारनपुर
4. श्री विकास यादव आबकारी निरीक्षक बेहट सर्किल, सहारनपुर
5. श्री सूबे सिह प्रभारी निरीक्षक थाना बेहट , जनपद सहारनपुर
6. व0उ0नि0 श्री प्रेम सिंह थाना बेहट सहारनपुर
7. हैड मोहर्रिर 595 जोनी कुमार थाना बेहट सहारनपुर

दिनांक –24.04.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा चोरी से पेड़ काटने के मुकदमे मे वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 लोहे की कुल्हाड़ी व 01 दाव बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 14.03.2025 को वादी श्री मंगेश पुत्र स्व0 जनेश्वर निवासी ग्राम सैदपुरा थाना सरसावा सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी से पापुलर के पेड़ काट लेने की सूचना के सम्बन्ध में थाना सरसावा पर मु0अ0सं0 089/2025 धारा 303(2) बीएनएस में पंजीकृत कराया गया था

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 24.04.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित **अभियुक्त सौरभ पुत्र चन्द्रभान निवासीगण मौ0 रामनगर पानी की टंकी के पास कस्बा व थाना सरसावा सहारनपुर** को गुरूकुल स्कूल नकुड रोड के पास से पेड़ काटने की कुल्हाडी व लोहे की दाव सहित गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

सौरभ पुत्र चन्द्रभान निवासी मौ0 रानगर पानी की टंकी के पास कस्बा व थाना सरसावा, सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- 01 पेड़ काटने की कुल्हाड़ी
- 01 लोहे का दाव

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री महेश सिंह थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. है0का0 661 सम्राट सिंह थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
3. का0 2256 प्रेम कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।

दिनांक 24.04.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 01अभियुक्ता सहित कुल 02 नशा तस्कर अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से 29.65 ग्राम अवैध स्मैक बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थो की तस्करी की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों कीस गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिए गये थे। आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 24.04.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा मौहल्ला नूर बस्ती में बानो डांसर के मसकन पर दबिश देकर महिला सहित 02 अभियुक्तगण **1.अनीस पुत्र इमरान निवासी नूर बस्ती थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर एंव 2.अभियुक्ता बानो डांसर पत्नी इमरान निवासी नूर बस्ती थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर** को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 29.65 ग्राम स्मैक बरामद हुई। जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 58/2025 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के पजीकृत किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. अनीस पुत्र इमरान निवासी नूर बस्ती थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर
2. बानो डांसर पत्नी इमरान निवासी नूर बस्ती थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

- कुल 29.65 ग्राम स्मैक

पूछताछ का विवरण-अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ पर संयुक्त रूप से बताया गया कि हम लोग यह स्मैक थाना मण्डी जनपद सहानरपुर से खरीद कर लाते है जो हमें यह स्मैक अगल-अगल स्थानों पर देकर जाता है। जिनका नाम व पता हम नही जानते।

अभियुक्त अनीस उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

मु0अ0सं0- 54/22 धारा 147/323/504/506 भादवि थाना कोतवाली नगर सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. उ0नि0 श्री रविन्द्र धामा थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
2. है0का0 122 संजय थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर
3. है0का0 978 अंकित भडाना थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर
4. का0 1354 अभिषेक खोखर थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर
5. का0 1342 कपिल राठी थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर
6. म0का0 2154 रितिका थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर
7. म0का0 968 हिमाँशु थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर

दिनांक 24.04.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा जानलेवा हमला करने वाले 02 वांछित अभियुक्तो को किया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 22.04.2025 को वादिया श्रीमति कविता पत्नि राजेश नि0 मौ0 शान्तिनगर जेल चुंगी थाना जनकपुरी सहारनपुर द्वारा एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1. सुमित पुत्र नरेश कुमार नि0 ग्राम बिशनपुर थाना फतेहपुर सहारनपुर हाल निवासी गोविन्द विहार थाना जनकपुरी सहारनपुर 2. गौरव पुत्र अर्जुन नि0 राधा विहार कालोनी नुमाईश कैम्प थाना कोतवाली नगर सहारनपुर हाल निवासी गोविन्द विहार थाना जनकपुरी सहारनपुर द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर वादिया के पुत्र नितिन के साथ जानलेवा हमला करने के सम्बन्ध में थाना जनकपुरी पर मु0अ0सं0 82/2025 धारा 191/115(2)/109(2)/352 भारतीय न्याय संहिता व 3(2)(5) एससी एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेते हुए अभियुक्तो की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिए, जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना जनकपुरी के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 24.04.2025 को उपरोक्त मुकदमें में वांछित अभियुक्तगण **1. सुमित पुत्र नरेश कुमार नि0 ग्राम बिशनपुर थाना फतेहपुर सहारनपुर हाल निवासी गोविन्द विहार थाना जनकपुरी सहारनपुर 2. गौरव पुत्र अर्जुन नि0 राधा विहार कालोनी नुमाईश कैम्प थाना कोतवाली नगर सहारनपुर हाल निवासी गोविन्द विहार थाना जनकपुरी सहारनपुर** को एसबीडी अस्पताल के पीछे वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. सुमित पुत्र नरेश कुमार नि0 ग्राम बिशनपुर थाना फतेहपुर सहारनपुर हालननिवासी गोविन्द विहार थाना जनकपुरी सहारनपुर
2. गौरव पुत्र अर्जुन नि0 राधा विहार कालोनी नुमाईश कैम्प थाना कोतवाली नगर सहारनपुर हाल निवासी गोविन्द विहार थाना जनकपुरी सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. उ0नि0 श्री शैलेन्द्र सिंह, थाना जनकपुरी सहारनपुर।
2. है0का0 610 विपिन राणा, थाना जनकपुरी सहारनपुर।
3. है0का0 731 पोपीन कुमार, थाना जनकपुरी सहारनपुर।

दिनांक: 24.04.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से कुल 40 ग्राम नाजायज स्मैक व 42 ग्राम कट (कीमत करीब 08 लाख रुपये) बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री बीनू सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 24.04.2025 को चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा नशा तस्कर अभियुक्त **सलीम पुत्र अकबर निवासी सिराज कालोनी थाना मण्डी सहारनपुर** को चिलकाना रोड से मछली के तालाब के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 40 ग्राम स्मैक नाजायज व 42 ग्राम कट (कीमत करीब 08 लाख रुपये) बरामद हुआ। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना कोतवाली मण्डी पर मु0अ0सं0 167/25 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि यह स्मैंक व कट मैं एक अन्जान व्यक्ति से लेकर आया हूँ यह स्मैक में आसपास के क्षेत्र में अधिक दामों में बेच देता हूँ और कुछ मैं पी लेता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सलीम पुत्र अकबर निवासी सिराज कालोनी थाना मण्डी सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

- 40 ग्राम स्मैक नाजायज
- 42 ग्राम कट

गिरफ्तार अभियुक्त सलीम का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 4/22 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना मण्डी थाना सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 131/2023 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना मण्डी थाना सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 147/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मण्डी थाना सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 148/22 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना मण्डी थाना सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 193/2023 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 531/21 धारा 63 आबकारी अधिनियम थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
7. मु0अ0सं0 532/21 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
8. मु0अ0सं0 778/19 धारा 19 सार्वजनिक जुआ अधिनियम थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. श्री अशोक सिसौदिया क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम सहारनपुर
2. प्रभारी निरीक्षक श्री बीनू सिंह थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री सन्दीप कुमार थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर

4. का0 1039 शोएब मिर्जा थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
5. का0 978 विपिन कुमार थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
6. म0क0 706 डोली थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 24.04.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा 02 शातिर नशा तस्कर अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से कुल 78 ग्राम नाजायज स्मैक व 85 ग्राम कट (कीमत करीब 16 लाख रुपये) व 01 तोल काँटा बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री बीनू सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 24.04.2025 चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा नशा तस्कर अभियुक्तगण 1**. नसीम पुत्र सलीम निवासी चाँद कालोनी 62 फुटा रोड थाना कुतुबशेर सहारनपुर 2. बिलकिश उर्फ सुनारी पत्नी सलीम निवासी अहमद कालोनी 62 फुटा रोड थाना कोतवाली देहात सहारनपुर** को हाजी शाह के कब्रिस्तान के सामने से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से कुल 78 ग्राम स्मैक नाजायज व 85 ग्राम कट व एक तोल काँटा (कीमत करीब 16 लाख रुपये) बरामद। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना कोतवाली मण्डी पर मु0अ0सं0 166/25 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि साहब हम माँ बेटे हैं। पकडे गये नसीम व बिलकिश उर्फ सुनारी उपरोक्त से उक्त स्मैंक (मादक पदार्थ) लाने के सम्बन्ध में पूछा गया तो बताया कि हम यह स्मैंक व कट शाहनवाज नाम के व्यक्ति से जो बुड्ढाखेडा का रहने वाला है से लेकर आते हैं शाहनवाज के पिता का नाम हमें नहीं मालूम। पकडे गये नसीम उपरोक्त व बिलकिश उर्फ सुनारी उपरोक्त से स्मैक के उपयोग के बारे में पूछने पर बताया कि इसे हम घूमफिरकर लोगों को उनकी जरूरत के अनुसार थोडा-थोडा बेच देते है

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. नसीम पुत्र सलीम निवासी चाँद कालोनी 62 फुटा रोड थाना कुतुबशेर सहारनपुर
2. बिलकिश उर्फ सुनारी पत्नी सलीम निवासी अहमद कालोनी 62 फुटा रोड थाना कोतवाली देहात सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

- 78 ग्राम स्मैक नाजायज
- 85 ग्राम कट
- 01 तोल काँटा

गिरफ्तार अभियुक्त नसीम का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 120/23 धारा 3/4/25 आर्मस एक्ट थाना कुतुबशेर थाना सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 372/24 धारा 8/20/21 एनडीपीएस एक्ट थाना कुतुबशेर थाना सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 166/25 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना मण्डी थाना सहारनपुर

<u>गिरफ्तार अभियुक्ता बिलकिश उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –</u>

1. मु0अ0सं0 372/24 धारा 8/20/21 एनडीपीएस एक्ट थाना कुतुबशेर थाना सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 166/25 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना मण्डी थाना सहारनपुर

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–</u>

1. श्री अशोक सिसौदिया क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम सहारनपुर
2. प्रभारी निरीक्षक श्री बीनू सिंह थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री नरेन्द्र सोलंकी थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
4. उ0नि0 अतुल कुमार थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
5. का0 1460 अंकित पंवार थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
6. म0क0 983 मीनू गिल थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
7. म0का0 986 शिवानी थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर

दिनांक: 24.04.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता, सहारनपुर पुलिस द्वारा चोरी की 02 घटनाओ का सफल अनावरण करते हुए 01 शातिर चोर को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किया गया 01 गैस सिलेन्डर , 2000/- रुपये व 01 नाजायज चाकू बरामद

अवगत कराना है कि दिनाँक 16.04.25 को कृष्णपाल शर्मा प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय याहियापुर वि0क्षे0 नानौता (सहारनपुर) द्वारा किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा विद्यालय की रसोई से बर्तन व गैस सिलेन्डर चोरी करने के सम्बन्ध मे थाना नानौता पर तहरीर दी थी जिसके सम्बन्ध मे थाना नानौता पर तत्काल मु0अ0स0 87/25 धारा 305(A) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

तथा आज दिनांक 24.04.25 की सुबह राजू प्रधान जी पुत्र श्री रामपाल सिंह निवासी ग्राम सोना अर्जुनपुर थाना नानौता जनपद सहारनपुर द्वारा ग्राम सोना अर्जनपुर स्थित रविदास मन्दिर से दो गल्ले जिनमे करीब 8000 रुपये थे चोरी करने के सम्बन्ध मे तहरीर दी थी । जिस पर थाना नानौता पर मु0अ0स0 91/25 धारा 305(A) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण एवं चोरी की घटनाओं की रोकथाम व वांछित अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थाना प्रभारी श्री सचिन पूनिया के कुशल नेतृत्व में नानौता पुलिस द्वारा थाना नानौता पर पजीकृत मु0अ0सं0 87/25 व मु0अ0सं0 91/25 धारा 305(A) बीएनएस की चोरी की घटनाओ का सफल अनावरण करते हुए 01 शातिर चोर **योगेश उर्फ योगी पुत्र लील्ला निवासी ग्राम सोना अर्जुनपुर थाना नानौता जिला सहारनपुर** को निकट रेलवे अन्डरपास ग्राम सोना अर्जनपुर से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त उपरोक्त के कब्जे से चोरी किया गया 01 सिलेन्डर व 2000 रुपये व 01 नाजायज चाकू बरामद हुए । मुकदमा उपरोक्त मे धारा 317(2) की वृद्धि एव मु0अ0स0 92/25 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया मैने व मेरे अन्य दो साथियो ने अब से करीब 05 दिन पहले ग्राम सोना अर्जुनपुर के रविदास मन्दिर व बाबा भीमराव अम्बेडकर के पास रखे गल्ले को चुरा लिया था । गल्लो को हमने जंगल में ले जाकर तोडकर रुपये निकाल लिए थे मेरे हिस्से में करीब 2700 रुपये आये थे 700 रुपये मुझ से खर्च हो गये है और जो मेरे पास से जो 2000 रुपये बरामद हुए है यह उसी चोरी मे से बचे रुपये है तथा मैने व मेरे उन दोनो साथियो ने ही करीब 8 दिन पहले ग्राम याहियापुर के सरकारी स्कूल में रसोई में रखे एक सिलेन्डर 03 भगोने व अन्य बर्तन चुराये थे उस चोरी में मेरे हिस्से में सिलेन्डर आया था व अन्य बर्तन मेरे दोनो साथियो ने आपस में बांट लिये थे आज मै इस सिलेन्डर को बेचने के लिए जा रहा था कि आपने पुलिस ने मुझे पकड लिया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

योगेश उर्फ योगी पुत्र लील्ला निवासी ग्राम सोना अर्जुनपुर थाना नानौता जिला सहारनपुर।

आपराधिक इतिहास :-

1.मु0अ0स0 236/23 धारा 379/411 भादवि थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0स0 89/24 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर
3. मु0अ0स0 87/25 धारा 305ए/317(2)बीएनएस थाना नानौता सहारनपुर
4. मु0अ0स0 91/25 धारा 305ए/317(2)बीएनएस थाना नानौता सहारनपुर
5. मु0अ0स0 92/25 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना नानौता सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- 2000 रुपये (चोरी किये गये) (मु0अ0स0 87/25 धारा 305(A) बीएनएस से सम्बन्धित)
- 01 गैस सिलेन्डर (HP मार्का) (मु0अ0स0 91/25 धारा 305(A) बीएनएस से सम्बन्धित)
- 01 नाजायज चाकू (मु0अ0स0 92/25 धारा 305(A) बीएनएस से सम्बन्धित)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. थानाध्यक्ष श्री सचिन पूनिया थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री धीरज सिह थाना नानौता जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री लोकेश कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर
4. उ0नि0 श्री जयवीर सिह थाना नानौता जनपद सहारनपुर
5. है0का0 820 अनुज थाना नानौता जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक – 24.04.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडीजे-11 जनपद सहारनपुर द्वारा अभियुक्त को 01 वर्ष का कारावास व 20 हजार रू0 के अर्थदण्ड की सुनायी गयी सजा –

अवगत कराना है कि दिनांक 03.06.2020 को वादी उपनिरीक्षक श्री सचिन कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर की सूचना पर अभियुक्त 1. पंकज पुत्र ओमपाल निवासी बैंगनी थाना चिलकाना जिला सहारनपुर के कब्जे से 07 ग्राम स्मैक बरामद होने की सूचना पर मु0अ0स0 318/2020 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया। उपरोक्त अभियोग एसटी नं0-805/20 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-11 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-11 जनपद सहारनपुर द्वारा **आज दिनांक 24.04.25 को पंकज पुत्र ओमपाल उपरोक्त को मु0अ0स0-318/20 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट का दोषी पाते हुए 01 वर्ष का कारावास व 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित** किया गया।

शासकीय अधिवक्ता- (ए0डी0जी0सी0) श्री अमित त्यागी

विवेचक- उपनिरीक्षक श्री विपिन कुमार

पैरोकार का0- 253 मनोज थाना चिलकाना सहारनपुर

दिनांक - 24.04.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-11 जनपद सहारनपुर द्वारा आर्म्स एक्ट के मामलें में अभियुक्त को व 09 माह का कारावास व 02 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सुनायी गयी सजा –

अवगत कराना है कि दिनांक 28.03.2017 को वादी उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार थाना नानौता, सहारनपुर द्वारा अभियुक्त दिलशाद उर्फ फाका उर्फ मुल्ला पुत्र रियाजुद्दीन निवासी 272, बंगला एरिया भूसा मण्डी रोड थाना सदर बाजार जनपद मेरठ के कब्जे से 01 देसी तमंचा 315 बोर, 01 खोखा कारतूस व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद होने की सूचना पर मु0अ0स0 59/2017 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना नानौता जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया। उपरोक्त अभियोग एसटी नं0 491/17 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-11 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में OPERATION CONVICTION में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-11 जनपद सहारनपुर द्वारा **आज दिनांक 24.04.2025 को अभियुक्त दिलशाद उर्फ फाका उर्फ मुल्ला पुत्र रियाजुद्दीन को मु0अ0सं0 59/2017 धारा 25 आर्म्स एक्ट को दोषी पाते हुए अभियुक्त को 09 माह का कारावास व 02 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित** किया गया।

शासकीय अधिवक्ता- (ए0डी0जी0सी0) श्री अमित त्यागी

विवेचक- उपनिरीक्षक श्री राजकुमार सिंह

पैरोकार है0का0 349 मनीष कान्त थाना नानौता जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडीजे-11 जनपद सहारनपुर द्वारा जानलेवा हमले के मुकदमें में अभियुक्त को 02 वर्ष का कारावास व 05 हजार रू0 के अर्थदण्ड की सुनायी गयी सजा –

अवगत कराना है कि दिनांक 28.03.17 को वादी उप निरीक्षक श्री अरविन्द कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर की सूचना पर अभियुक्तगण 1. दिलशाद उर्फ फाका उर्फ मुल्ला पुत्र रियाजुद्दीन नि0 272 बंगला एरिया भूसा मण्डी रोड थाना सदर बाजार जनपद मेरठ, 2. मदनी पुत्र शमशाद नि0 मौ0 पुर्वा हाफिज रेलवे रोड जनपद मेरठ, 3.आसिफ पुत्र अब्दुल कययूम नि0 मौ0 पुर्वा हाफिज रेलवे रोड जनपद मेरठ व 4. इरफान पुत्र इस्लाम नि0 272 बंगला एरिया भूसा मण्डी रोड थाना सदर बाजार जनपद मेरठ द्वारा एक राय होकर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर करने की सूचना पर मु0अ0स0 58/17 धारा 307,34 भादवि थाना नानौता जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया । उपरोक्त अभियोग एसटी नं0 1579/25 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-11 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-11 जनपद सहारनपुर द्वारा **आज दिनांक 24.04.2025 को अभियुक्त 1. दिलशाद उर्फ फाका उर्फ मुल्ला पुत्र रियाजुद्दीन की जुर्म स्वीकृती पर मु0अ0स0 58/2017 धारा 307,34 भादवि का दोषी पाते हुए अभियुक्त को 02 वर्ष का कारावास व 05 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित** किया गया।

नोटः अभियुक्तगण 1. मदनी पुत्र शमशाद नि0 मौ0 पुर्वा हाफिज रेलवे रोड जनपद मेरठ, 2. आसिफ पुत्र अब्दुल कययूम नि0 मौ0 पुर्वा हाफिज रेलवे रोड जनपद मेरठ व 3. इरफान पुत्र इस्लाम नि0 272 बंगला एरिया भूसा मण्डी रोड थाना सदर बाजार जनपद मेरठ का वाद अभी मा0 न्यायालय में प्रचलित है।

शासकीय अधिवक्ता- (ए0डी0जी0सी0) श्री अमित त्यागी
विवेचक-उपनिरीक्षक श्री राजकुमार सिंह
पैरोकार है0का0-349 मनीष कान्त थाना नानौता जनपद सहारनपुर